

असाधारण EXTRAGRDINARY

PART II—wor 3—34-14 (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORI

₹. 519]

नई विल्ली, सीसवार, अगस्त 21, 1989/आवण 30, 1911

No. 519]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 21, 1989/SRAVANA 30, 1911

इ.स. भाग में भिन्त पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण भौर वन मंत्रालय (पर्यावरण, जन भौर वन्य जीव विभाग)

ग्रधिसूचना

नई विल्ली, 21 घगस्त, 1989

का. घा. 656 (घ):--- केन्द्रीय सरकार, पर्यायरण (संरक्षण) ग्राधिनियम, 1986 (1986 का 29) की घारा 19 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पर्यावरण भीर वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन ग्रीर क्य जीव विभाग) की भविसूचना में. का. ग्रा. 394(भ), नारीख 16 श्रीक, 1987 का मंगोधन करती है।

उक्त ग्रधिसून क्रम संक्यांक ग्रीर प्रवि	ना की सारणी में, फम संख्यांक 10 व्टर्मा अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्	भौर जससे संबंधित प्रविष्टियों के !~~	पश्चात् निम्नलिखित
1	2	3	
	(विक्रि), पर्यावरण वन और बन्य जी और बन मंत्रालय, नई विल्ली।		भारत"

[मि. मं. क्यू.-14012/1/89 सी. पी.ए.] डा.जी. सुन्दरम, संयुक्त संविव

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

(Department of Environment, Forests & Wildlife)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 1989

S.O. 656(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests (Department of Environment, Forests and Wildlife) No. S.O. 394(E) dated the 16th April, 1987.

In the said notification, in the Table, after serial No. 10 and the entries relating thereto, the following serial No. and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3
En Mi	nt Director (Legal) in the Department vironment, Forests and Wildlife, inistry of Environment and Forests, aw Delhi-110 003.	nt of Whole of India.".

[F. No. Q-14012/1/89-CPA] DR. G. SUNDARAM, Jt. Secy.